

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर भीना

अपील संख्या 111/25

तारीख रजजू- 10/03/25

1. सुरजान पुत्र श्रीचन्द्र आयु 85 साल जाति गुर्जर निवासी खेडली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर ।
-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास ।
-रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 47/2024.25 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खेडली के आराजी खं0नं0 1787/924 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये थे। जो अपीलार्थी को नहीं मिलकर अन्य दीगर व्यक्ति को दिये गये थे, जिसकी जानकारी अन्य अतिक्रमियों के द्वारा बताने पर अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करना चाहा लेकिन पेश होने से पूर्व ही अपीलार्थी के खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया था, जबकि भूमि पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है, उसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित करने एवं 50 गुना पेनल्टी से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिये जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी



सिविल कारावास को दण्ड से दण्डित करने में कानूनी गूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल कारावास को दण्ड से दण्डित करने में कानूनी गूल की है, साथ ही भू-अभिलेख निरीक्षक की नवीन रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 में अंकित किया है कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद आरज़ीयात पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आरज़ी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का के बयान में भी स्वयं पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रम संवत् 2081 फसल रबी में अतिक्रमण किया है तथा अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2024-25 फसल खरीफ में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे हटवाने के बावजूद भी इस भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया है, अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदि है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, यदि उक्त अपील स्वीकार की जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न हैं तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि, अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी